



सप्तदश बिहार विधान सभा

चतुर्थ सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-30.11.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- श्री सुदामा प्रसाद,
संवि०सं
श्री सत्यदेव राम,
संवि०सं
श्री अजीत कुमार सिंह,
संवि०सं
श्री भाई वीरेन्द्र,
संवि०सं
श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता,
संवि०सं
डॉ० सत्येन्द्र यादव,
संवि०सं
श्री फते बहादुर सिंह,
संवि०सं
श्रीमती रेखा देवी,
संवि०सं
डॉ० रामानुज प्रसाद,
संवि०सं
श्री मोहम्मद
नेहालउद्दीन,
संवि०सं
श्री राजेश कुमार गुप्ता,
संवि०सं
श्री अजय कुमार,
संवि०सं

“बिहार सरकार ने 15 फरवरी, 2022 तक 45 लाख मिट्टिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है जबकि किसानों ने 90 लाख एम०टी० से ज्यादा धान की रिकॉर्ड पैदावार की है । अभी कटनी शुरू हुई है और धान में नमी की मात्रा लगभग 22 प्रतिशत है, जबकि केन्द्र सरकार ने धान खरीद में 19 प्रतिशत की अनिवार्यता तय की है ।

एक क्विंटल धान पैदा करने में किसानों का लगभग ढाई हजार रुपये खर्च होता है, जबकि केन्द्र सरकार ने 1940-1960 रुपये धान का समर्थन मूल्य तय किया है । 80 प्रतिशत खेती बटाईदार किसान करते हैं, लेकिन पुनः इस साल बटाईदारों से धान खरीद के लिए जमीन का खाता-खेसरा मांगने की शर्त से धान नहीं खरीदने की मंशा जाहिर होती है, क्योंकि कोई भी भूस्वामी अपनी जमीन का खाता-खेसरा नहीं देते हैं ।

अतः लोकहित में धान खरीद में नमी और खाता-खेसरा की अनिवार्यता समाप्त करने, धान का समर्थन मूल्य 3000 रुपये प्रति क्विंटल करने, राज्य सरकार द्वारा धान खरीद पर प्रति क्विंटल 1000 रुपये बोनस देने तथा धान खरीद का समय 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाकर किसानों के सम्पूर्ण धान खरीदने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।’

सहकारिता

2. श्री अरूण कुमार सिन्हा,
संवि०स०
श्री राणा रणधीर,
संवि०स०

“बड़हिया-मोकामा टाल क्षेत्र दलहन उत्पादक क्षेत्र है। बाढ़ तथा बरसात का पानी इस क्षेत्र में जमा होने के बाद तीन-चार वर्ष पहले तक रबी बुआई के पूर्व निकल जाता था, लेकिन इस टाल क्षेत्र में गाद जमा होने के कारण पिछले तीन-चार वर्षों से रबी फसल की बुआई के पूर्व पानी नहीं निकलने के कारण लगभग 30,000 हेक्टेयर जमीन में दलहन की बुआई नहीं हो पा रही है, जिससे इस क्षेत्र के हजारों लघु तथा सीमांत किसानों और उनके परिवार को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है और उनके आजीविका का संकट उत्पन्न हो रहा है। टाल क्षेत्र में जल निकासी के नाम पर हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद सही नीति नहीं रहने के कारण समस्या ज्यों की त्यों बनी रह गयी है।

अतः लोकहित में बड़हिया-मोकामा टाल क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष जमा होने वाले बाढ़ और बरसात के पानी को रबी फसल की बुआई के पूर्व हाथीदह के समीप गंगा नदी में निकालने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

जल
संसाधन

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-28/2021- 3578 / वि०स०, पटना, दिनांक- 29 नवम्बर, 2021 ई०।

प्रति:-बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / सहकारिता विभाग एवं जल संसाधन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/11/21
(राजीव कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-28/2021- 3578 / वि०स०, पटना, दिनांक- 29 नवम्बर, 2021 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं संयुक्त सचिव के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

21/11/21
(राजीव कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।